एनटीपीसी
NTPC

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

कोयला खनन् परियोजनाएँ, हजारीबाग
Coal Mining Projects, Hazaribag

Ref:- 1040/PBCMP/PB-NW/2020/59, Dated:- 20/12/2020

प्रति,

वनमण्डल पदाधिकारी,
हजारीबाग,पश्चिमी प्रमण्डल।

विषयः—NTPC पकरीबरवाडीह उत्तरी ब्लॉक कोल काइनिंग खनन परियोजना हेतु 331.198 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

संदर्भः— आपका पत्र कमांक 3063, दिनांक 11/09/2020

महाश्य,

NTPC पकरी बरवाडीह (NW) कोल काइनिंग परियोजना के वन भूमि प्रस्ताव में FRA एवं JJ NOC के संबंध में जानकारी निम्न प्रकार से है।

क्र.सं.	जानकारी	स्थिती
01	वन भूमि से संबंधित FRA प्रमाण पत्र।	1. MOEF के पत्र कमांक 11—43/2013—FC दिनांक 26/02/19 के अनुसार FRA की in-principle approval के समय आवश्यकता नही है।(पत्र की प्रतिलिपी संलग्न (Annexure-1) 2. प्राप्त नही है। तथा इस संबंध में undertaking संलग्न है। (Annexure-2)
02	जंगल झाडी से संबंधित FRA प्रमाण पत्र।	1. MOEF के पत्र कमांक 11—43/2013—FC दिनांक 26/02/19 के अनुसार FRA की in-principle approval के समय आवश्यकता नही है। 2. 5 ग्रामों का FRA प्राप्त है। दो ग्रामो का FRA अप्राप्त। एक ग्राम में जंगल झाडी भूमि नही है। (Annexure-3) 3. इस संबंध में undertaking संलग्न है। (Annexure-4)

Accom

कोयला खनन् परियोजनाएँ, सिकरी साईट कार्यालय, बड़कागाँव, हजारीबाग – 825311
Coal Mining Projects, Sikri Site Office, Barkagaon, Hazaribag - 825311
पंजीकृत कार्यालय : एनटीपीसी भवन, स्कोप कॉम्प्लैक्स, 7, इंस्टिट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003. टेलीफोन नं./Tel: 011-24387333, फैक्स नं./Fax: 01124361018
Registered Office : NTPC Bhawan, Scope Complex, 7, Institutional Area, Lodi Road, New Delhi - 110003. E-mail : ntpccc@ntpc.co.in, Website : www.ntpc.co.in

Scanned with CamScanner

03	जंगल झाडी भूमि का अनापत्ती प्रमाण पत्र।	7 ग्रामो का संलग्न है। 1 ग्राम में जंगल झाडी भूमि नही है। (Annexure-5)

अतः आप से अनुरोध है कि NTPC पकरीबरवाडीह (NW) कोल काइनिंग खनन परियोजना हेतु 331.198 हे0 वन भूमि का अपयोजन प्रस्ताव यथाशीध्र अग्रसरित करने कि कृपा करें।

Aseem 20.12.20
असीम मिश्रा
अपरमहाप्रबंधक (खनन)
पकरी बरवाडीह नार्थ वेस्ट
एन.टी.पी.सी., हजारीबाग।

Scanned with CamScanner

Annexure-1

File No.11-43/2013-FC

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110003

Dated: 28th February ~~January~~, 2019

To,

The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Governments

Sub: Compliance of the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding

Sir,

I am directed to refer to Forest (Conservation) amendment Rules 2016 as amended on 06th March, 2017 wherein inter-alia it has been provided that:

(e) *the District Collector shall*

(i) complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal.

(ii) obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and

(iii) forward his findings in this regard to the Conservator of Forests

(f) the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal.

(g) the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Office.

I am also directed to refer to references/communications received from various State Governments seeking clarification on whether FRA certificate is to be submitted before Stage-II compliance or it has been submitted along-with proposal for seeking Stage-I approval.

It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage-I

Scanned with CamScanner

File No.11-43/2013-FC

condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF). Hence for the purpose of the MoEF&CC, as per the provision under Forest (Conservation) amendment rules, 2016 the compliance under FRA is not required for consideration of in-principle approval. This has to be furnished by the state Govt. for consideration of the proposal by the ministry for final approval.

In view of the above, the State Governments are requested to adhere the provisions contained in Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016 for FRA purpose while forwarding the proposal for seeking prior approval under Section 2 of Forest(Conservation) Act,1980 to this Ministry for consideration.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines, Government of India
3. Secretary, Ministry of Coal, Government of India
4. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India
5. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments
6. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/ UT Governments
7. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI.
8. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI
9. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GoI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GoI/TO(FC)/TO(RoHQ).
10. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
11. Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC
12. Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GoI
13. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.

Yours faithfully,

(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

Scanned with CamScanner

Annexure-7

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)
कोयला खनन् परियोजनाएँ, हजारीबाग
Coal Mining Projects, Hazaribag

UNDERTAKING

Regarding point related to FRA certificate for forest land, vide DFO letter no. 3063 dated 11.09.20, I, hereby state that, it shall be submitted be submitted at the earliest.

Aseem
Aseem Misra

Scanned with CamScanner

Annexure-3 (a)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Jharkhand

Office of the District Collector, Hazaribagh

....

No...1309.. Dated..9/10/2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 3.82 Acre, 6.15 Acre, 9.76 Acre, 12.25 Acre & 0.58 Acre of forest land proposed to be diverted in favour of that of forest land proposed to be diverted in favour of पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट क्वेरी in Keredari Block, Hazaribag district falls within jurisdiction of villages **Basariya, Kandaber, Sirma, Nawadih & Bariyatu** in Keredari tehsils

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire that 3.82 Acre, 6.15 Acre, 9.76 Acre, 12.25 Acre & 0.58 Acre of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure 3.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Basariya, Kandaber, Sirma, Nawadih & Bariyatu in Keredari** villages is enclosed as annexure 1"A" to annexure1"D"

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encls.: As above

5/11/19

District Welfare Officer
Hazaribagh.
8/10/19
3/9/19

3/9/19

Deputy Commissioner
Hazaribag

Scanned with CamScanner

Annexure-3

Diversion of the Forest Land for the NW (PB-A) Quarry of PB Opencast Coal Mining Project, NTPC Ltd, Hazaribagh Jharkhand

SUMMARY OF THE LAND SCHEDULE OF NOTIFIED FOREST/ EX-RESERVED FOREST / JUNGLE-JHARI LAND UNDER NW QUARRY (PB - A) OF PB OPENCAST COAL MINING PROJECT

Sl. No.	Village	Thana No.	Forest		Jungle-Jhari land		Total Forest Area to be acquired by NTPC	
			in acre	in ha	in acre	in ha	in acre	in ha
1	Barcatu	42	493.280	199.628	0.580	0.235	493.860	199.862
2	Basaria	44	82.500	33.387	3.820	1.546	86.320	34.933
3	Beltu	32	12.799	5.180	8.520	3.448	21.320	8.628
4	Jabra	43	9.100	3.683	0.000	0.000	9.100	3.683
5	Kandaber	33	46.820	18.948	6.150	2.489	52.970	21.437
6	Nawadih	45	61.730	24.982	8.980	3.634	70.710	28.616
7	Sirma	46	50.798	20.558	9.760	3.950	60.560	24.508
8	Uruh	41	0.000	0.000	23.550	9.531	23.550	9.531
GRAND TOTAL			757.027	306.366	61.360	24.832	818.390	331.198

अंचल अधिकारी

Annexure-4

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

NTPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

कोयला खनन् परियोजनाएँ, हजारीबाग
Coal Mining Projects, Hazaribag

UNDERTAKING

Regarding point related to FRA certificate for JJ land, vide DFO letter no. 3063 dated 11.09.20, I, hereby state that, it shall be submitted be submitted at the earliest.

Aseem

Aseem Misra

Scanned with CamScanner

Annexure-5

उपायुक्त का कार्यालय (कल्याण शाखा)

हजारीबाग जिला के केरेडारी अंचल अन्तर्गत पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट क्वैरी कार्य हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल) इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित हस्तांतरण के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वन भूमि जंगल Deemed Forest भूमि (जंगल) भूमि जो जिला हजारीबाग अंचल- केरेडारी के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का अनापत्ति प्रमाण निर्गत किया जाता है।

क्र	अंचल का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हे0में)	भूमि का प्रकार
1	केरेडारी	पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट क्वैरी	बरारिया	05	2,10 एवं 12	3.82	जंगल झाड़ी
2			कण्डाबेर	110	197,271,431,444, 493,527,545	6.15	
3			सिरमा	12	296,97p,144,195, 240,245,247,291	9.76	
4			नावाडीह	3	152p,162p,174p, 187p,207,218p, 237p,316	12.25	
5			बारियातु	155	21,50	0.58	

उपरोक्त भूमि जंगल (Deemed Forest) है। पकरी बरवाडीह कोल ब्लॉक के नॉर्थ वेस्ट क्वैरी कार्य के लिए भूमि अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि :-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रायोक्ता ऐजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेगें।
2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात आवश्यकतानुसार उक्त भूमि के हस्तानतरण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जिला में प्रस्ताव समर्पित किया जायगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
हजारीबाग।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

ज्ञापांक......13......1304../क0, हजारीबाग, दिनांक 4/9/....2019

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी वन प्रमण्डल तथा वन्य प्राणी प्रमण्डल,हजारीबाग एवं अन्य संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी, केरेडारी, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
हजारीबाग।

उपायुक्त,
हजारीबाग।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Annex:- 5

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(जिला राजस्व शाखा)

-: प्रमाण-पत्र :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में हजारीबाग जिला के केरेडारी अंचल अन्तर्गत पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना (नॉर्थ वेस्ट) हेतु गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	ग्राम, थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि किस्म
1.	हजारीबाग	केरेडारी	बेलतु, 32	190	81(P)	0.210	जंगल
				190	143(P)	2.359	जंगल
				190	198(P)	0.186	जंगल
				190	214	0.664	जंगल
				190	222(P)	0.028	जंगल
						3.448	

कुल रकवा 3.448 हेक्टेयर (8.52 एकड़) में सन्निहित 3.448 हेक्टेयर है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत् किया जाएगा।

ह0/-
उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक 2531/रा0 हजारीबाग, दिनांक 16/12/2020

प्रतिलिपि :- अपर महाप्रबंधक (खनन), पकरी बरवाडीह नॉर्थ वेस्ट क्यैरी, एनटीपीसी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि Website में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, हजारीबाग।

Scanned with CamScanner

Annexure-5

उपायुक्त का कार्यालय, हजारीबाग

(जिला राजस्व शाखा)

-: प्रमाण-पत्र :-

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प संख्या 1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 के आलोक में हजारीबाग जिला के बड़कागाँव अंचल अन्तर्गत पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना (नॉर्थ वेस्ट) हेतु गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	जिला का नाम	अंचल का नाम	ग्राम, थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि किस्म
1.	हजारीबाग	बड़कागाँव	उरूब, 41	49	635(P)	0.405	जंगल झाड़ी
				49	661	3.974	जंगल झाड़ी
				49	666	3.217	जंगल झाड़ी
				49	677(P)	1.922	जंगल झाड़ी
				49	689(P)	0.012	जंगल झाड़ी
						9.531	

कुल रकवा 9.531 हेक्टेयर (23.55 एकड़) में सन्निहित 9.531 हेक्टेयर है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत् किया जाएगा।

ह0/-

उपायुक्त, हजारीबाग।

ज्ञापांक ......2530......../रा0 हजारीबाग, दिनांक ......16/12....../2020

प्रतिलिपि :- अपर महाप्रबंधक (खनन), पकरी बरवाडीह नॉर्थ वेस्ट क्वैरी, एनटीपीसी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि Website में अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/12/2020

उपायुक्त, हजारीबाग।

Scanned with CamScanner